झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–588 वर्ष 2017

संध्या, पुत्री–जी0एस0 प्रसाद, पत्नी–प्रो0 एस0डी0 लाल, निवासी–राजेन्द्र पथ, पटना, वर्तमान निवासी–प्रेम कुंज, कडरू, डाकघर–डोरण्डा, थाना–अरगोड़ा, राँची।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, मानव संसाधन विभाग, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, टेलीफोन भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, शिक्षा, दक्षिण छोटानागपुर, डाकघर एवं थाना–राँची, जिला–राँची।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, राँची, डाकघर एवं थाना–राँची, जिला–राँची।

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सुबोध कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री नवीन सिंह, अधिवक्ता

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ0 एस0एन0 पाठक**

04 / 16.08.2017 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने सरकार के परिपत्र और आदेश और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के अनुसरण में, प्रतिवादियों को दिनांक 01.04.1986 के बजाय दिनांक 01.01.1982 या नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से उनका वेतन निर्धारित करने का निर्देश देने के प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और याचिकाकर्ता का मामला भी इसी तरह का है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. याचिकाकर्ता को प्राथमिक गर्ल्स हाई स्कूल, रातू, राँची के सचिव द्वारा सहायक शिक्षक के चयन की उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और नियुक्ति पत्र भी पत्र संख्या 108 दिनांक 27.12.1981 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया गया था और याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के उक्त पद पर योगदान दिया। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने ज्ञाप संख्या 6008 दिनांक 19.06.1982 के माध्यम से याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लिया है। इसके बाद, उनकी सेवा को ज्ञाप संख्या 11125 दिनांक 12.10.1982 के माध्यम से अनुमोदित किया गया और याचिकाकर्ता को दिनांक 06.01.1982 से वतन जारी किया गया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी सेवा पुस्तिका उत्तरदाताओं–अधिकारियों द्वारा खोली गई थी और उक्त स्कूल को उत्तरदाता अधिकारियों द्वारा ज्ञाप संख्या 182 दिनांक 25.03.1982 के माध्यम से अपने अधीन ले लिया गया था और याचिकाकर्ता का नाम उक्त पत्र के क्रम संख्या 45 पर था। उक्त पत्र के मद्देनजर यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांक 01.01.1982 से या उनकी

प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से अनुमोदित किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण ने पत्र संख्या 167 दिनांक 29.12.2004 द्वारा अचानक एक पत्र जारी किया है, जिसके द्वारा परियोजना स्कूल के शिक्षकों को 01.01.1982 या नियुक्ति के प्रारंभिक तिथि के बजाय दिनांक 01.04.1986 से वेतन जारी करने के लिए कहा गया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सूचना दिये बिना संबंधित प्राधिकारी द्वारा उक्त पत्र जारी किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

4. चूंकि याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दायर किए हैं, लेकिन इसका निपटान नहीं किया गया है, हालांकि कई आदेशों द्वारा इसी तरह के मुद्दों को इस माननीय न्यायालय द्वारा निपटाया गया है और अभ्यावेदन के माध्यम से उत्तरदाताओं के ध्यान में लाया गया था, लेकिन वे अभ्यावेदन अभी भी लंबित हैं और कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों (अनुलग्नक–5 श्रृंखला) के मद्देनजर इस रिट याचिका को उक्त अभ्यावेदन के निपटान के लिए दायर किया गया है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार पांडे ने कहा कि इसी तरह के मुद्दे पहले ही इस न्यायालय द्वारा तय किए जा चुके हैं, लेकिन अवैध रूप से और मनमाने ढंग से उत्तरदाता इस मामले पर कोई आदेश नहीं पारित करके कसकर बैठा है और इसलिए, इस न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर भी विचार किया जा सकता है और नियुक्ति की उसकी प्रारंभिक तिथि से उसके वेतन के निर्धारण के संबंध में इसी तरह के आदेश पारित किए जाएं।

6. दूसरी ओर, श्री नवीन सिंह, विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन से अवगत नहीं है क्योंकि कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। जवाबी हलफनामा के अभाव में वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं–अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए या नहीं। हालांकि, अनुलग्नक–5 श्रृंखला के मद्देनजर विद्वान अधिवक्ता बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक नया अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए दायर करते हैं तो उत्तरदाता–प्राधिकरण इस माननीय न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार एक युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे।

7. जो भी हो, पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दलीलों के मद्देनजर यह न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसी तरह के समान मुद्दों पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

8. इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के मद्देनजर, मैं इसके द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 को निर्देश देता हूँ कि अनुलग्नक–5 के मद्देनजर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करे और याचिकाकर्ता को इसी तरह के मुद्दे से संबंधित इस न्यायालय के निर्णयों सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक नया अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है। यदि याचिकाकर्ता एक नए अभ्यावेदन दायर करता है, तो इस

आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसको निपटाया जाय।

9. परिणामस्वरूप, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)